



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-23052026-272792
CG-BR-E-23052026-272792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2509]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2026/वैशाख 31, 1948

No. 2509]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2026/VAISAKHA 31, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 12 मार्च, 2026

का.आ. 2601(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे अधिनियम-2008 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा(1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 3953 (अ) दिनांक-25.08.2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (II) में प्रकाशित की गई थी, जो बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे की सकरी-हसनपुर नई लाइन परियोजना के अन्तर्गत बिथान-कुशेश्वर स्थान-हरनगर (Detour Alignment) का निर्माण कार्य के निर्माण अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20क की उपधारा-(I) के अधीन दिनांक-12.09.2025 को "दैनिक जागरण"(हिन्दी संस्करण) और दिनांक-12.09.2025 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया"(अंग्रेजी संस्करण) दोनों में प्रकाशित किया गया था और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं है।

और सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि धारा-20 की उपधारा-(1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजना के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे की सकरी-हसनपुर नई लाइन परियोजना के अन्तर्गत बिथान-कुशेश्वर स्थान-हरनगर (Detour Alignment) का संरचनाओं के साथ या बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण।

क्रम सं.	मौजा/थाना नं.	अंचल	खेसरा सं.	भूमि की प्रकृति	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	भू स्वामी/हितबद्ध रैयतों का नाम
1	भरसो/181	सिधिया	658	धनहर-2	0.8528	1. शे. रिजवान पिता शेख रमजानी 2. शकीला खातून पति मो. नसीम 3. इसरती खातून, शेख मो. इमामुद्दीन वो अफरोजा खातून पति मो. शलाउद्दीन
2		सिधिया	656	धनहर-2	1.7347	1. शकीला खातून पति मो. नसीम 2. इसरती खातून, शेख मो. इमामुद्दीन वो अफरोजा खातून पति मो. शलाउद्दीन
3		सिधिया	657	बाँध	0.2787	अनावाद बिहार सरकार
कुल रकवा-					2.8662	

[फ़ा. सं. ECR/CAO/C/N/SKI-HPO/NL/5]
राम जन्म, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/उत्तर

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Patna, the 12th March, 2026

S.O. 2601(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, notification S.O. 3953 (E), dated the 25 August, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub section (1) of section 20(A) of the Railway (Amendment) Act, 2008 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the propose execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “Bithan –Kusheshwar Asthan-Harnagar (detour alignment) in connection with Sakri-Hasanpur New line Project of East Central Railway” in the district of Samastipur in the State of Bihar

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Daink Jagran (Hindi) and The Times of India (English), dated the 12th September, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objections was received and the same have been considered/disallowed by the competent authority accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of the land to be acquired with or without structures for “Bithan-Kusheshwar Asthan-Harnagar (detour alignment) in connection with Sakri-Hasanpur New line Project of East Central Railway” in the district of Samastipur in state of Bihar.

Sl. No.	Name of Village	Name of circle	Plot/ Survey No.	Nature Of Land	Affected Area (Acre)	Name of the Land Owner/ Interested Persons
1	Bharso / 181	Singhiya	658	Dhanhar-2	0.8528	1. Sekh Rijwan S/o Sekh Ramjani 2. Shakila Khatoon W/o Md. Nasim 3. Ishrati Khatoon, Sekh Md. Imamuddin wo Afroja Khatoon W/o Salauddin
2		Singhiya	656	Dhanhar-2	1.7347	1. Shakila Khatoon W/o Md. Nasim 2. Ishrati Khatoon, Sekh Md. Imamuddin wo Afroja Khatoon W/o Salauddin
3		Singhiya	657	Bandh	0.2787	Anabad Bihar Sarkar
Total					2.8662	

[F. No. ECR/CAO/C/N/SKI-HPO/NL/5]

RAM JANM, CAO/Con./North